केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

CIC/AA/A/2020/
CICOM/A/P/20/00035
CICOM/R/P/20/00042

अपीलकर्ता

श्री अवधेश कुमार चतुर्वेदी,
जैनपुर, कादराबाद,
पो0 – अखा, जनपद – बरेली,
उत्तर प्रदेश – 243001.

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.01.2020
2.	सूचना प्रदान करने की तिथि	17.02.2020
4.	सूचना प्रदान करने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री के. एल. दास
3.	प्रथम अपील आवेदन की तिथि	03.03.2020
5.	निर्णय की तिथि	03.04.2020

मांगी गई सूचना का संक्षिप्त विवरण:

I. अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचना की मांग की थी:

1. यह कि संलग्नक छायाप्रति पत्रांक 568/019 दिनांक 18.04.2019 एवं मोबाइल मैसेज प्राप्त सूचना सं. CICI/PMOIN/A/2019/119010 ID CIC ND दिनांक 30.04.2019 में अब तक अंतिम रूप सेकृत कार्यवाही सत्यापित प्रति उपलब्ध करायें।
2. यह कि संलग्नक छायाप्रति 518/018 दिनांक 22.11.2018 का संलग्नक मुख्य सूचना आयुक्त द्वारापारित आदेश दिनांकित 11.11.2019 केअनुपालन में/PMOकीकार्यवाही सहित अब तक अंतिम रूप कृत कार्यवाही कीसत्यापित प्रति उपलब्ध करायें।
3. यह कि संलग्नक छायाप्रतियों में अब तक/अंतिम रूप से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो किन कारणों, परिस्थियोंवश एवं किस प्रावधान तहत कार्यवाही नहीं की गई है। यदि कार्यवाही होना शेष है, तो कार्यवाही कब पूर्ण की जाएगी, अधिनियम प्रावधान सहित स्पष्ट जानकारी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायें।दिनांक 01.07.2019 से 05.02.2020 तक केन्द्रीय सूचना आयोग में अपीलकर्ता की कितनी द्वितीय अपीले/शिकायते प्राप्त हुई हैं, डायरी सं. सहित सूचना दी जाए, मुझे डायरी सं. क्यों नही दिया।

प्रदान की गई सूचना :

2. उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री के. एल. दास द्वारा निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई :-

1. It is pending for hearing. Cases are heard on chronological basis. Cases registered during August, 2018 are being listed for hearing at present. Your case has been registered during April,2019. You will be sent notice of hearing when your case is listed.

Scanned by CamScanner

2. On perusal of the relevant file, no action seems to have been taken. The CPIO, National Archives of India, is being asked to submit compliance report in the matter and also their comment on your letter dated 22.11.2018.

प्रथम अपील का आधार :

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि :–

"सचूना आवेदन दिनांकित 13.01.2020 में संलग्नकों क्रम में चाही गई मात्र तीन बिंदु सूचना सत्यापित प्रतियों से हटकर एवं भारतीय संविधानिक भाष देवनागरी लिपि हिंदी जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया विपरीत भाषा अंग्रेजी, जिसका हिंदी अनुवाद भी संलग्न नहीं जानबूझकर विषय विशेष से भटकाने के उद्देश्य मनगढंत भ्रामक दो बिंदु निराधार जवाब सूचना तैयार कर दिनांकित 17.02.2020 उपलब्ध कराई गई, मान्य नहीं।

सादर स्पष्ट अवगत कराना है कि सूचना आवेदन दिनांकित 13.01.2020 संलग्नकों में दर्ज दिनांकों क्रम में पंजीकृत पत्रों की स्पष्ट कृत कार्यवाही जानकारी, विचाराधीन स्पष्ट कारण एवं पंजीकरण संख्याओं की सत्यापित प्रतियाँ आज दिनांक 03.03.2020 तक उपलब्ध नहीं कराई गई संबंधितों/लोक सूचना अधिकारी द्वारा जिस कारण वश भ्रामक सूचना जवाब दिनांकित 17.02.2020 उपलब्ध कराई गई से संतुष्ट नहीं हूँ।

अपीलार्थी को आवेदन क्रम में संलग्नों अनुसार चाही गई सूचना सत्यापित प्रतियाँ उपलब्ध न कराने से मानसिक पीड़ा पहुँच रही है । अप्रिय घटना घटने पर उत्तरदायित्व आपका होगा।

अत: प्रथम अपीलीय अनुरोध है कि पत्र गंभीरता दृष्टिगत सूचना आवेदन दिनांकित 13.01.2020 संलग्नकों में दर्ज दिनांकों सहित प्रेषित पत्रों की मूल पत्रावली संबंधितों से तलब कर अवलोकन उपरांत चाही गई सूचनाएं सत्यापित प्रतियाँ अधिनियम तहत उपलब्ध करायें।"

निर्णय

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आर.टी.आई. आवेदन एवं सी.पी.आई.ओ. द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि आवेदन के बिंदु सं. 1एवं 2 से संबंधितसूचना श्री के. एल. दास द्वारा दिनांक 17.02.2020 के पत्र के माध्यम से प्रेषितकर दी गई है।इसके अंतर्गत प्रार्थी को आवेदन के बिंदु संख्या 1 की सूचना के सन्दर्भ में यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी की द्वितीय अपील संख्याCICI/PMOIN/A/2019/119010 में कारवाई लंबित है और जब इसमें सुनवाई निर्धारित की जाएगी तो सम्बंधित पक्षों को आयोग द्वारा सुनवाई का नोटिस जारी किया जाएगा। प्रार्थी को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि आयोग में पंजीकृत मामलों की सुनवाई क्रमानुसार की जाती है। इसी प्रकार आवेदन के बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत वांछित सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी को यह सूचित किया गया है कि प्रार्थी के प्रश्नगत मामले में सबंधित प्रतिवादी पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से अनुपालना रिपोर्ट मांगी जा रही है और इस सन्दर्भ में उनसे प्रार्थी के 22.11.2018 के पत्र पर भी टिपण्णी की मांग की जा रही है।

जहाँ तक आवेदन के बिंदु संख्या 3 से सम्बंधित सूचना का प्रश्न है, इस बिंदु के अंतर्गत प्रार्थी ने उनके विभिन्न प्रपत्रों पर कारवाई क्यों नहीं की गई गई है,इसकी सूचना की मांग की है।यहाँ यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने सिल्सा पिंटो बनाम, गोवाराज्य सूचना आयोग (W.P.No.419/2007) में दिनांक03.04.2008 को दिए अपने निर्णय में यह अधिकथित किया है कि 'क्यों' और'कैसे' प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आता है। अर्थात एक जन सूचना अधिकारी केवल रिकार्ड में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी की मान्यता है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनातथ्यानुरूप और आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप है।

जहाँ तक प्रार्थी के आवेदन का हिंदी भाषा में जवाब नहीं दिए जाने सम्बन्धी प्रार्थी की शिकायत का प्रश्न है,यह अवगत कराना है कि आयोग अपने उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत हिंदी के आवेदनों को हिंदी भाषा में ही निस्तारित करने का प्रयास करता है। बहरहाल, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्री के. एल. दास को यह निर्देश दिया जाता है कि वे भविष्य में हिंदी में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव हिंदी भाषा में ही निस्तारण सुनिश्चित करें।

5. उपरोक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. अपीलकर्ता यदि इस आदेश से संतुष्ट नहीं हों और चाहें तों इस आदेश के विरुद्ध 90 के दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : 08.04.2020

मीबा/2020
08/04/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि:-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग।
2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (DO to CIC (BJ), केन्द्रीय सूचना आयोग।

Scanned by CamScanner